सं0-25/2021/211/23-12-2022-जी0आई0 66/2016

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-12 लखनऊ : दिनांक 31 मार्च, 2022

विषय:-केन्द्रीय मार्ग निधि योजनान्तर्गत स्वीकृत चालू कार्य पर जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग लखनऊ के पत्र सं0-9802बीजी/7बी-मांग के0मा0नि0/2021-22, दिनांक 02.03.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0-10/2016/1158/23-12-16-107जी0आई0/16, दिनांक 02.08.2016 द्वारा कतिपय अन्य कार्यों के साथ-साथ नि0ख0 भवन, गोरखपुर के पीपीगंज-जसवल-सिसई-सहजनवां मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु रू0 2836.00 लाख के लागत की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। तत्समय जी0एस0टी0 प्रभावी नहीं था। अत: उक्त कार्य की स्वीकृत लागत में जी0एस0टी0 की धनराशि को सम्मिलित करते हुए जी0एस0टी0 की धनराशि हेतु निम्नानुसार रू0 139.31 लाख (रू0 एक करोड़ उन्तालीस लाख इकतीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल एतदद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	**जनपद/खण्ड का नाम**	**शासनादेश संख्या**	**कार्य का नाम**	**स्वीकृत प्राविधिक लागत**	**अनुमन्य जी0एस0टी0 की धनराशि**	**कार्य की लागत जी0एस0टी0 सहित**	**अब तक आवंटन /व्यय**	**प्रस्तावित आवंटन**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	नि0ख0 भवन, गोरखपुर	10/2016/1158/23-12-16-107 जी0आई/16, दिनांक 02.08.2016	पीपीगंज-जसवल-सिसई-सहजनवां मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	2836.00	139.31	2975.31	2794.20	**139.31**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 2 के शासनादेश संख्या-बी- 2-2528/ दस- 2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(3) विभाग द्वारा व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तो का पूर्णतयः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभाग की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(5) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(6) अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनु 02 के शासनादेश संख्या-ए- 2-23/ दस- 2011-74(4)/75/2011 दिनांक 25 जनवरी 2011 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके विभाग द्वारा जमा की जायेगी।

(7) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(8) प्रभाग द्वारा लागत आंकलन में 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। विभाग अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

(9) विभाग द्वारा व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तो का पूर्णतयः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवंपर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाए।

(11) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(12) विभाग द्वारा वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-३/२०२१/बी-१-३७५/दस-२०२१-२३१/२०२१, दिनांक २२ मार्च, २०२१ के प्रस्तर-२(९)(ख) में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्थाओं को दो-दो माह की आवश्कतानुसार धनराशि निर्गत की जाय। विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायी होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकतानुसार ही किया जाय। कार्यदायी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत कार्य का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।

(14) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(15) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यों के सपंरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(16) विभाग द्वारा प्रश्नगत कार्य पर जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी, उतनी ही भुगतान की जायेगी, प्रश्नगत कार्य की लागत को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

(17) उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश सं0-10/2016/1158/23-12-16-107जी0आई0/16, दिनांक 02.08.2016की शेष शर्तें एवं प्रतिबंध यथावत लागू रहेंगी।

(18) केन्द्रीय मार्ग निधि योजनान्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि का शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति प्राप्त किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाय।

(19) प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है। उक्त कार्य को गुणवत्तायुक्त पूर्ण कराकर फोटोग्राफ सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाय।

(20) उक्त धनराशि का भुगतान किये जाने से पूर्व सम्बन्धित अधिशासी अभियंन्ता द्वारा रोड सेफ्टी का कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-800-अन्य व्यय-04-केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत निर्माण कार्य-0421-सडकों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के चालू कार्यो के लिये व्यवस्था(के.100/रा.0-के.)-24-वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अर्द्धशासकीय पत्र सं0- E-8-3750-X-2021-22, दिनांक 31 मार्च, 2022 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

सं0-25/2022/211(1)/23-12-2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन ।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
6- वित्त नियन्त्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0 ।
9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8
11- लोक निर्माण अनु0-10
12- डाटा सेल, विकास भवन सचिवालय, उत्तर प्रदेश शासन।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभय कुमार)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।